तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नं... आ... हुक...
26.02.21	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि प्रार्थी के पिता का सही नाम रामनारायण पुत्र हरनाथ है। परन्तु राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय सहवन से गलत नाम रामनाथ पुत्र हरनाथ दर्ज कर दिया। प्रार्थी के पुत्र ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, अन्य जमाबन्दियां जिनमें सही नाम है की प्रतियां पेश किये। पटवारी ने रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करने का कथन किया। बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम रामनाथ पुत्र हरनाथ अंकित है। प्रार्थी का कथन कि प्रार्थी के पिता का सही नाम रामनारायण पुत्र हरनाथ है की पुष्टि पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, अन्य जमाबन्दियां जिनमें सही नाम है से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना **<u>आदेश</u>** उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व [illegible] बणियाला स्थित भूमि खसरा संख्या 415, 417, 41[illegible] [illegible] राजस्व रिकॉर्ड में **रामनाथ पुत्र हरनाथ** के स्थान पर **रामनारायण पुत्र हरनाथ** दुरुस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Brejesh Kumar Date: 2021.02.27 20:08:32 IST Reason: Self Attested (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना	C.A